अध्याय 16

विभिन्न प्रकार के यात्रा प्राधिकार पत्र

अतिरिक्त किराया टिकट

नीचे लिखे सभी प्रकरणों में रेलवे के किराये की रकम और अतिरिक्त देय प्रभार की वसूली के लिये टिकट संग्राहक या चल टिकट परीक्षक द्वारा अतिरिक्त किराया टिकट जारी की जाती है।

- जब कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकडा जाए।
- जब कोई यात्री अनियमित टिकट पर यात्रा करते हुए पकडा जाए।
- जब कोई यात्री बिना बुक कराए अनुमत निःशुल्क छूट सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते हुए पकडा जाए।
- जब कोई यात्री टिकट खोने पर या तो आगे के स्टेशन के लिये या ऊँची श्रेणी में या लम्बे मार्ग से यात्रा करना चाहे।

बुकिंग ऑफिस में भी इन टिकटों को उस स्टेशन के लिये जारी किया जाता है जिसके लिये छपे हुए कार्ड टिकट उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में उस मार्ग के सर्वाधिक लम्बी दूरी तक के स्टेशन के लिये उपलब्ध छपे हुए कार्ड टिकट के साथ अतिरिक्त किराया टिकट को बाकी भाग के लिये जारी किया जाता है। इन टिकटों को सरकारी यात्री यातायात के लिये भी चैक सोल्ज़र टिकट न होने पर भी जारी किया जाता है। जब कभी अतिरिक्त किराया टिकट पुस्तक बुकिंग कार्यालय में उपयोग में लाई जाती है तो इसकी सूचना मंडल वाणिज्य प्रबन्धक व लेखा कार्यालय को देना आवश्यक है।

अतिरिक्त किराया टिकटों पर मशीन से नम्बर डले होते हैं और यह वाटरमार्क युक्त पेपर पर ही मुद्रित की जाती है। स्टोर डिपो द्वारा तीन प्रतियों के सैट में 50-50 टिकटों की जिल्दबन्द पुस्तकों के रूप में स्टेशन की माँग पर सप्लाई की जाती है। स्टोर डिपो से प्राप्त होने के पश्चात प्रत्येक पुस्तक की जाँच की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरन्त सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाएगा। जाँच करने वाले कर्मचारी द्वारा पुस्तक की अंतिम प्रति की रिकार्ड प्रति के पीछे दिनांक सहित हस्ताक्षर करने होगें।

तीन प्रतियों में से पहली प्रति लेखा विभाग, दूसरी यात्री तथा तीसरी रिकार्ड के लिये होती है।

अतिरिक्त किराया टिकट बनाना

✍ अतिरिक्त किराया टिकट पेन्सिल की सहायता से तीन प्रतियों में बनाई जाती है। पहली प्रति माह के अन्त में अतिरिक्त किराया टिकट विवरणी के साथ यातायात लेखाकार्यालय को भेजी जाती है, दूसरी प्रति वसूल की गई राशि की पावती के रूप में व गाड़ी में यात्रा करने तथा गंतव्य स्टेशन पर गेट से बाहर जाने के लिये प्राधिकार पत्र के रूप में यात्री को दी जाती है तथा तीसरी प्रति रिकार्ड के रूप में रखी जाती है।

- टिकट तैयार करते समय अतिरिक्त किराया टिकट के आकार की टिन प्लेट का उपयोग किया जाना चाहिये ताकि सभी प्रतियों पर प्रभाव साफ साफ व पढने योग्य आए।
- अतिरिक्त किराया टिकट पर यात्री का नाम लिखा जाना चाहिये और यदि टिकट एक से अधिक यात्रियों के लिये जारी हो तो परिवार के मुखिया का नाम और उसके आगे 'और पार्टी' शब्द लिखा जाना चाहिये। यात्रियों की संख्या अंको व शब्दो में लिखी जानी चाहिये।
- टिकट पर अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त प्रभार व सामान प्रभार की वसूल की गई राशि को अलग अलग लिख सब की जोड लगाड़ेकर रकम को अंकों व शब्दों में लिखा जाना चाहिये।
- स्टेशनों के पूर्ण नाम लिखे जाने चाहिये।
- टिकट पर प्रभार वसूल करने के कारण का उल्लेख किया जाना चाहिये।
- यात्री के पास पहले से यदि यात्री या लगेज टिकट हो तो उनके पूर्ण विवरण जैसे टिकट नं., दिनांक, स्टेशन से, स्टेशन को, वाया, श्रेणी आदि अतिरिक्त किराया टिकट पर लिखे जाने चाहिये।
- जब अतिरिक्त किराया टिकट किसी चल टिकट परीक्षक द्वारा जारी की जाती है तो यात्रियों के पास पहले से जो टिकट है उनके मुख्य भाग पर लाल पैन्सिल से अक्षर 'एक्स. एफ.' अंकित कर देना चाहिये ताकि गंतव्य स्टेशन पर जब भी कोई यात्री ऐसा टिकट दे जिस पर एक्स एफ अंकित हो तो टिकट संग्राहक यात्री टिकट व लगेज टिकट के साथ साथ अतिरिक्त किराया टिकट भी एकत्रित कर ले।
- टिकट पर दिनांक,माह अंकों तथा शब्दों में लिखी जानी चाहिये तथा दिनांक एवं माह की संख्या एक से नौ है अर्थात एक अंक में है तो पहले बाँये तरफ शून्य लगा देना चाहिये।
- जिस स्टेशन से गाड़ी पर टिकट बनाया जाता है,उस स्टेशन का नाम व गाड़ी नंबर भी टिकट पर लिखे जाने चाहिये।
- अतिरिक्त किराया टिकट फॉर्म पर लिखे जाने वाले सभी विवरण उसी जाँच कर्मचारी द्वारा लिखे जाने चाहिये जो टिकट जारी करता है।
- चल टिकट परीक्षक को टिकट पर अपने स्टेशन मुख्यालय का नाम लिखना चाहिये तथा टिकट संग्राहक को अपने स्टेशन की मुहर लगानी चाहिये।
- टिकट जारी करने वाले जाँच कर्मचारी को अपने पूरे हस्ताक्षर करने चाहिये।
- टिकट पर लिखे जाने वाले दो अंकों, शब्दों या अक्षरों के बीच कोई जगह नहीं छोडी जानी चाहिये ताकि उनमें किसी प्रकार शब्द या अंक जोडने की संभावना न रहे।
- स्थानीय तथा इत्तर यातायात के लिये अलग अलग अतिरिक्त किराया टिकट पुस्तकें उपयोग में लाई जानी चाहिये तथा एक समय में एक ही पुस्तक का उपयोग किया जाना चाहिये। दूसरी

पुस्तक का उपयोग तभी प्रारम्भ किया जाना चाहिये जब पहली पुस्तक पूरी तरह समाप्त हो जाए।

✍ अतिरिक्त किराया टिकट पर किसी प्रकार की काँट छाट या रद्दोबदल नहीं करना चाहिये। यदि टिकट जारी करने में कोई गलती हो जाती है तो उस टिकट की सभी प्रतियों पर निरस्त किया "Cancelled" शब्द अंकित कर निरस्त करने के कारण लिख निरस्त करने वाले कर्मचारी को अपने तारीख युक्त हस्ताक्षर करने चाहिये। टिकट निरस्त करने के पश्चात जितना शीघ्र संभव हो सके, सभी प्रतियों पर स्टेशन मास्टर,मुख्य टिकट निरीक्षक, प्रधान टिकट संग्राहक के तारीख युक्त प्रतिहस्ताक्षर लिये जाने चाहिये। निरस्त किये गये टिकट की यात्री प्रति मुख्यालय स्टेशन के स्टेशन मास्टर या बुकिंग क्लर्क के पास जमा करवा कर टिकट की रिकार्ड प्रति के पीछे उसकी पावती ली जानी चाहिये। निरस्त किये गये टिकट की लेखा प्रति अतिरिक्त किराया टिकट की मासिक विवरणी के साथ लेखा कार्यालय को भेजी जानी चाहिये।

✍ निरस्त टिकट की यात्री प्रति प्राप्त करने वाले स्टेशन मास्टर / बुकिंग क्लर्क को इसे नहीं जारी किये गये टिकटो के अलग अलग स्टेटमेंट में दर्ज कर जमा करवाने वाले जाँच कर्मचारी का नाम लिख कर स्टेटमेंट निरस्त यात्री प्रति के साथ लेखा कार्यालय को भेजा जाना चाहिये।

कोरी पर्ची टिकट (बी पी टी)

कोरी पर्ची टिकट एक पेपर टिकट है। यह रियायती आदेश और वाउचर पर जारी किये जाने वाले टिकटों को बनाते समय काम में लिया जाता है। यह लोकल और इत्तर यातायात के लिये अलग अलग होती है।

स्थानीय	पिंक
इत्तर	पिंक (लाल लहरदार बैन्ड के साथ)

बी पी टी एक जिल्दबन्द पुस्तक होती है। प्रत्येक टिकट की तीन प्रतियाँ होती है। प्रथम लेखा प्रति, द्वितीय यात्री प्रति और तृतीय रिकार्ड प्रति कहलाती है। प्रत्येक पुस्तक में 50 टिकट होती है इसको डबल साइडेड कार्बन की सहायता से बनाया जाता है। बी पी टी को उन स्टेशनों के लिये काम में नहीं लेना चाहिये जिनकी टिकटें स्टेशन पर उपलब्ध है। तीनों प्रतियों में से लेखा प्रति को मासिक विवरणी के साथ लेखा कार्यालय को भेज दिया जाता है। यात्री प्रति यात्री को दे दी जाती है तथा रिकार्ड प्रति को स्टेशन पर सुरक्षित रिकार्ड में रखा जाता है।

सीजन टिकट

जिन यात्रियों को नियमित रूप से रेल द्वारा यात्रा करनी होती है उनकी यात्रा को सुविधामय बनाने हेतु रेल प्रशासन द्वारा रियायती दरों पर सीजन टिकट जारी किये जाते हैं। सीजन टिकट एक माह व तीन माह के लिये प्रथम व द्वितीय श्रेणी के लिये जारी किये जाते हैं।

साधारणतः सीजन टिकट 150 किमी तक की दूरी के लिये जारी किये जाते हैं लेकिन 1.4.1951 के पूर्व 150 किमी से अधिक जिन स्टेशनों के लिये जारी किये गये थे वे आज भी लागू हैं तथा विशे-न परिस्थिति में यह दूरी सी सी एम द्वारा बढाई भी जा सकती है। विद्यार्थियों के लिये अधिकत्तम 150 किमी तक की दूरी के लिये सीजन टिकट जारी किये जा सकते हैं। मासिक सीजन टिकट का किराया

कोचिंग टेरिफ नं. 25 पार्ट 2 में दर्शाया गया है। त्रैमासिक सीजन टिकट का किराया मासिक सीजन टिकट के किराये का 2.7 गुना होगा। सुपरफास्ट गाड़ी में यात्रा करने हेतु मासिक सीजन टिकट का 15 यात्रा के बराबर तथा त्रैमासिक सीजन टिकट हेतु 45 यात्रा के बराबर सुपरफास्ट सरचार्ज अग्रीम देना होगा, लेकिन यदि कोई सुपरफास्ट गाड़ी 325 किमी से कम दूरी के लिए चलाई जाती है तो सुपरफास्ट सरचार्ज नहीं लगेगा। विद्यार्थियों से निर्धारित किराये का आधा किराया लिया जाएगा। अनूसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को विद्यार्थी किराये में 50% किराये की छूट और दी जाएगी। विद्यार्थियों को दी जाने वाली रियायत सामान्य जाति वाले विद्यार्थियों को 25 वर्ऩ तक, अजा व अजजा के विद्यार्थियों को 27 वर्ऩ तक तथा रिसर्च स्कॉलर,उच्च शिक्षारत विधार्थियो को 35 वर्ऩ की उम्र तक यह रियायत दी जाती है। सीजन टिकट प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में ही जारी किये जाते हैं। मासिक सीजन टिकट की अवधि जारी करने की दिनांक से अगले माह की एक दिन पूर्व की दिनांक तक होगी तथा इसी प्रकार त्रैमासिक सीजन टिकट की अवधि जारी करने की दिनांक से तीसरे माह की एक दिन पूर्व की दिनांक तक वैध होगी। प्रिन्टेड सीजन टिकट पर स्टेशन से स्टेशन को, रेट, वयस्क या बच्चा दिनांक व माह छपे होते हैं। यात्री का नाम, उम्र, सेक्स, जारी करने की दिनांक, रेल कर्मचारी के हस्ताक्षर सीजन टिकट बनवाते समय पेन से अंकित किये जाते हैं। इसके पिछले पृ-ठ पर यात्रा सम्बन्धी नियम लिखे होते हैं।

पहचान पत्र

सीजन टिकट बनवाने हेतु यात्री को एक पहचान पत्र दिया जाता है जिसकी वैधता अवधि 5 वर्ऩ होती है तथा इसकी कीमत 1रू है। पहचान पत्र पर मशीन से सीरीयल नं. अंकित होते हैं जिसे सीजन टिकट जारी करते समय उस पर लिख दिया जाता है। पहचान पत्र के बाँयी तरफ यात्री का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाया जाएगा तथा दांयी ओर यात्री का नाम, पता, उम्र, सेक्स, जारी करने की दिनांक व यात्री के हस्ताक्षर आदि विवरण होते हैं। फोटो को स्टेशन मास्टर द्वारा सत्यापित किया जाएगा। उपरोक्त पहचान पत्र के अलावा पैन कार्ड, पास पोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, वोटर आई. कोर्ड व क्रेडिट कार्ड जो फोटो युक्त हों, सीजन टिकट के पहचान पत्र हेतु मान्य है। इनका नम्बर सीजन टिकट पर दर्ज किया जायेगा तथा यात्रा के दौरान इसे साथ रखना अनिवार्य होगा।

सीजन टिकट का नवीनीकरण

यात्री सीजन टिकट की वैद्यता की समाप्ति के 10 दिन पूर्व इसका का नवीनीकरण करवा सकता है।

कम्प्यूटरीकृत सीजन टिकट

मुंबई उपनगरीय खण्ड में सीजन टिकट पी आर एस द्वारा 'किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिये' जारी किये जाते हैं। अन्य स्टेशनों पर जहाँ 'माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्वतः मुद्रण टिकट मशीनों' द्वारा टिकट जारी किये जाते हैं, उन स्टेशनों पर सीजन टिकट इन्हीं मशीनों से जारी किये जाते हैं।

इन्टरनेट द्वारा सीजन टिकट

पश्चिम रेलवे के मुम्बई उपनगरीय खण्ड पर इन्टरनेट की मदद से सीजन टिकट जारी करने की सुविधा वेबसाइट www.rediff.com पर उपलब्ध है जिसमें सीजन टिकट सम्बन्धी जानकारी जैसे परिचय पत्र क्रमांक, उसकी वैधता की दिनांक, कहाँ से कहाँ तक, श्रेणी इत्यादि भरकर सीजन टिकट प्राप्त कर

सकता है। इस सीजन टिकट की उसे घर पर डिलीवरी कर दी जाएगी। मुम्बई उपनगरीय खण्ड पर ए टी एम की मदद से सीजन टिकट जारी करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

कम मूल्य के मासिक सीजन टिकट

असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति जैसे सब्जी बेचने वाले, घरेलू नौकर, खेती के मजदूर, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूर आदि जिनकी मासिक आय 400 रू. से कम है, उन्हें कम मूल्य के मासिक सीजन टिकट जारी किये जाते हैं। ये सीजन टिकट स्थानीय संसद सदस्य, विधायक, डी एम, एस डी ओ या बी डी ओ से इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर जारी किये जाएगें कि यह व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है और प्रतिमाह इसकी आय 400 रू. से कम है। इस उद्देश्य के लिये गरीबी हटाओ की सरकारी योजना के अर्न्तगत प्राप्त प्रमाण पत्र भी स्वीकारा जाएगा। वर्तमान में इसकी दर 15 रू. है।

ये कम मूल्य के मासिक सीजन टिकट केवल दूसरी श्रेणी के लिये जारी किये जाएगें और वे किसी मेल/एक्स. में यात्रा हेतु वैध नहीं होगें। यह सीजन टिकट त्रैमासिक जारी नहीं किये जा सकते हैं। अन्य सभी प्रभार जो वर्तमान में साधारण सीजन टिकट धारकों से वसूले जा रहे हैं, इन कम मूल्य के सीजन टिकट धारकों से वसूले जाएगें। कम मूल्य के मासिक सीजन टिकट सामान्य जनता को जारी किये जाने वाले मासिक सीजन टिकट के लिये लागू अन्य शर्ते पूरी करने पर ही जारी किये जाएगें।

निःशुल्क मासिक सीजन टिकट

बारहवीं कक्षा तक अध्ययन करने वाले छात्रों तथा स्नातक कक्षा तक अध्ययन करने वाली छात्राओं को उनके निवास स्थान से स्कूल के स्थान तक दैनिक यात्रा करने के लिये निःशुल्क मासिक टिकट जारी किये जाते हैं। ये निःशुल्क मासिक सीजन टिकट केवल दूसरी श्रेणी के लिये जारी किये जाएगें और वे किसी मेल/एक्स. में यात्रा हेतु वैध नहीं होगें। निःशुल्क मासिक सीजन टिकट विद्यार्थियों को जारी किये जाने वाले मासिक सीजन टिकट के लिये लागू अन्य शर्ते पूरी करने के पर ही जारी किये जाएगें। विद्यार्थियों को जारी निःशुल्क मासिक सीजन टिकट पर अधिभार भी नहीं वसूला जाएगा।

सीजन टिकट जारी करना

सीजन टिकट जारी करते समय यात्री से पहचान पत्र माँगा जाएगा तथा सीजन टिकट में यात्री का नाम, उम्र, सेक्स, जारी करने की दिनांक लिखकर रेल कर्मचारी हस्ताक्षर करेगें तथा पिछले पृ-ठ पर पहचान पत्र के पूरे नम्बर लिखे जाएगें। सीजन टिकट के आधार पर यात्री निर्धारित मार्ग द्वारा निर्धारित समय सीमा में कितनी भी बार आ और जा सकता है। इस पर पृ-ठाकंन करवाना आवश्यक नहीं है।

सीजन टिकट धारक अपने साथ निम्नलिखित वजन निःशुल्क ले जा सकता है।

श्रेणी	फ्री अलाउन्स	ग्रेस लिमिट
प्रथम	15 किग्रा	5 किग्रा
द्वितीय	10 किग्रा	5 किग्रा

यात्री द्वारा सीजन टिकट प्राप्त करने के पश्चात उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है तभी यह टिकट यात्रा हेतु मान्य होगा अन्यथा उसे बिना टिकट का यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा।

यात्रा के दौरान सीजन टिकट व पहचान पत्र दोनों साथ रखना अनिवार्य है। किसी एक की भी अनुपलब्धता की स्थिति में यात्री को बिना टिकट का यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा।

सीजन टिकट धारक निर्धारित मार्ग से ही यात्रा करेगें। मार्ग से हटकर यात्रा करते हुए पकडे जाने पर जहाँ से भी यात्री मार्ग से हटा है, वहॉ से आगे बिना टिकट का यात्री मानकर चार्ज किया जाएगा।
सीजन टिकट अहस्तान्तरणीय टिकट है अर्थात जिस व्यक्ति के नाम पर यह टिकट जारी किया गया है वही व्यक्ति उस पर यात्रा कर सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस टिकट पर यात्रा करते हुए पकडा जाएगा तो उसे धारा 138 के अर्न्तगत बिना टिकट का यात्री माना जाएगा तथा सीजन टिकट जब्त कर लिया जाएगा व धारा 142 के अर्न्तगत अभियोजित किया जाएगा।

प्रोड्यूस वेन्डर सीजन टिकट

दैनिक व्यापार की नाश्वान वस्तुओं लाने तथा ले जाने के लिये यह टिकट व्दितीय श्रेणी मासिक सीजन टिकट के साथ जारी किया जाता है। पी वी एस टी का किराया द्वितीय श्रेणी मासिक सीजन टिकट के किराए का 50% होता है। पी वी एस टी बच्चों के सीजन टिकट पर जारी नहीं किया जा सकता है।
यात्रा के दौरान पी वी एस टी धारक सामान बेच नहीं सकता है। उपनगरीय रेलवे के व्यस्त समय में सामान लाना व ले जाना मना है।
बाह्य यात्रा में पी वी एस टी धारक सीजन टिकट के फ्री अलाउन्स सहित 60 किलो तथा वापसी यात्रा में खाली थैलों/ बर्तन में ला व ले जा सकता है।
यात्रा के दौरान पी वी एस टी, सीजन टिकट तथा पहचान पत्र तीनों साथ रखना अनिवार्य है अन्यथा किसी भी एक की अनुपस्थिति में उसे बिना टिकट यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा।

कम्प्यूटर टिकट

यात्री आरक्षण की कम्प्यूटरीकृत पद्दति ने (कम्प्यूटर मुद्रित टिकट) सी पी टी को जन्म दिया। सी पी टी सामग्री का प्रयोग यात्रा एवं आरक्षण टिकट, डी टी सी और कैन्सीलेशन टिकट छापने के लिये किया जाता है। इसमें टिकट के लिये रूपरेखा (फॉर्मेट) पहले से ही छपा होता है। टिकट के बाँये व दाँये किनारों पर छिद्र होते हैं जो टिकट रोल को प्रिन्टर में लगाते समय उपयोग में लाए जाते हैं। टिकट के ऊपर मध्य में भारतीय रेलवे का लोगो तथा पृ-ठभूमि में हिन्दी में छोटे छोटे अक्षरों में भारतीय रेलवे छपा रहता है। यह वाटरमार्क पेपर पर छापा जाता है तथा इसके दायें कोने में सी पी टी का स्टॉक नं. आठ अंको में छपा रहता है। शिफ्ट चालू करते समय आपरेटर सर्वप्रथम इम्प्रेस्ट, प्राइवेट केश साथ साथ रोल के पहले टिकट का स्टॉक नं. भी डालेगा।

प्रत्येक आरक्षण की पहचान पी एन आर नं. (पैसेन्जर नेम रिकार्ड नं.) से होती है ये नं. दस अंकों का होता है जो कि टिकट जारी करते समय छापा जाएगा। पी आर एस पद्धति द्वारा सम्बन्धित खाने में

- गाड़ी का नं.
- यात्रा की तारीख
- यात्रा की दूरी किमी में
- वयस्क व बच्चों की संख्या(एक टिकट पर अधिकत्तम 6 यात्री)
- सीट/ बर्थ व कोच संख्या
- उम्र, सेक्स, यात्रा के प्रधिकार व रियायती कोड
- स्टेशन कहाँ से कहाँ तक हिन्दी व अंग्रेजी में

यदि यात्रा की दूरी अधिक है परन्तु आरक्षण कम दूरी के लिये है या आरक्षण मध्यवर्ती स्टेशन से माँगा गया है तो इसका भी पूर्ण विवरण दिया जाएगा।

कुल किराया नकद तथा वाउचर दोनों खानों में अलग अलग दिखाने का प्रावधान है। कोच नं., बर्थ नं. तथा यात्रा की श्रेणी (बडे अक्षरों में) भी कम्प्यूटर द्वारा उचित कॉलम में छापी जाती है।

यदि यात्रा करने का अधिकार पत्र पहले से ही खरीदी गई टिकट या रेलवे पास या इन्डरेल पास है तो सी पी टी पर प्रत्येक यात्री के लिये अलग अलग दर्शाया जाएगा। यदि 'यात्रा एवं आरक्षण टिकट' किसी रियायती आदेश अथवा वाउचर पर जारी की गई है तो इसके द्वारा टिकट पर वाउचर नं. भी छापा जाएगा। यदि सिस्टम में ही रियायत दिये जाने की व्यवस्था है तो रियायती कोड भी छपेगा।

टिकट के नीचे की ओर बाँये कोने पर प्रथम तीन अंकों में 'रेन्डम नं.' है। यह रेन्डम नं. गाड़ी, तारीख, एवं गन्तव्य स्टेशन के सम्बन्ध में है। यह नं. टिकट जाँच कर्मचारियों तथा गन्तव्य स्टेशन पर कर्मचारियों द्वारा जाँचा जाएगा ताकि अनियमितताओं को पकडा जा सके। टिकट जारी करने की तारीख, समय और टर्मिनल नं. जिससे टिकट जारी की गई है, रेन्डम नं. के बाद अंतिम लाइन पर दिखाया जाएगा।

रद्द की गई टिकट के मामले में शीर्नक 'कैन्सीलेशन टिकट' होगा। ऐसी टिकट पर मूल टिकट की तरह ही सारे विवरण होगें। परन्तु इसके अलावा कैन्सीलेशन चार्ज तथा वापस की जाने वाली राशि को भी दर्शाया जाएगा।

राजधानी, शताब्दी व अगस्त क्रान्ति टिकट

भारत वर्न में चलने वाली राजधानी, शताब्दी व अगस्त क्रान्ति एक्सप्रेस गाडियों में हवाई जहाज के प्रकार टिकट जारी किया जाता है। यह टिकट एक कवर में होता है। कवर के ऊपर गाड़ी का फोटो छपा होता है। यह टिकट मैनुअल सिस्टम में जारी किया जाता है।

अन्दर के पृ-ठ पर टिकट का विवरण जैसे सिरियल नं, श्रेणी, स्टेशन से, स्टेशन को, किराया, भोजन का प्रकार आरक्षण लिपिक द्वारा आरक्षण करते समय लिखा जाता है।

अन्य सभी नियम सामान्य टिकटों के समान है।

प्लेटफार्म टिकट

रेल प्रशासन द्वारा स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट जारी किये जाते हैं। सभी स्टेशनों (कुछ स्टेशनों को छोडकर जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट नहीं बिकते हैं) के प्लेटफार्म पर व्यक्तियों को प्लेटफार्म टिकट लेकर प्रवेश करना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति बिना प्लेटफार्म टिकट के प्लेटफार्म पर प्रवेश करता है तो उससे अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त प्रभार वसूल किये जाएगें।

प्लेटफार्म टिकट की दर भारतीय रेलवे के सभी स्टेशनों पर 3/- है तथा यह जारी करने के समय से दो घंटे के लिये वैध है। जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलता है वहाँ स्टेशन मास्टर अपने विवेक के अनुसार कुछ व्यक्तियों को प्लेटफार्म पर आने की अनुमति दे सकता है।

रेल प्रशासन द्वारा कुछ व्यक्तियों को बिना प्लेटफार्म टिकट के प्लेटफार्म पर आने की अनुमति दे रखी है जो निम्नलिखित है -

- रेल कर्मचारी
- कार्य हेतु स्टेशन पर नियुक्त पुलिस विभाग के कर्मचारी
- कार्य हेतु स्टेशन पर नियुक्त आबकारी व कस्टम विभाग के कर्मचारी

(उपरोक्त कर्मचारियों को रेल कर्मचारी द्वारा मॉगे जाने पर पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है)

- सेना व सी.आर.पी.एफ के वे कर्मचारी जिन्हें अधिकारियों को लाने व ले जाने के लिये नियुक्त किया गया हो। ये कर्मचारी गणवेश में रहेगें।
- चिकित्सा अधिकारी, यदि किसी यात्री को बाहरी चिकित्सा की सुविधा प्राप्त करनी हो।
- प्लेटफार्म परमिट वाले व्यक्ति
- रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य

प्लेटफार्म परमिट

जिन व्यक्तियों को नियमित रूप से प्लेटफार्म पर आना जाना हो जैसे प्रेस रिपोर्टर, न्यूज़ पेपर ऐजेन्ट आदि व्यक्तियों के लिये रियायती दरों पर मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्निक तथा वार्निक प्लेटफार्म परमिट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह परमिट माह की किसी भी तारीख को जारी किये जाए समाप्ति अवधि के अनुसार माह की अंतिम तारीख होगी।

प्लेटफार्म परमिट की दर स्टेशनों के अनुसार दो प्रकार से निर्धारित की गई है-

प्लेटफार्म परमिट की अवधि	बडे स्टेशन	छोटे स्टेशन
मासिक	15/-	12/-
त्रैमासिक	45/-	36/-
छःमासिक	90/-	72/-
वार्निक	180/-	144/-

प्रेस रिपोर्टर तथा प्रेस फोटोग्राफर (रजिस्टर्ड न्यूज पेपर के) से उपरोक्त दर का 1/4 किराया लिया जाता है लेकिन उन्हें मासिक प्लेटफार्म परमिट जारी नहीं किया जाता है।

उच्च अधिकारियों का माँगपत्र(एच.ओ.आर.)

उच्च अधिकारी वह है जिसका नाम कोचिंग टेरिफ नं. 25 पार्ट 1 भाग 1 के 'एफ' अनुबन्ध में लिखा है। इनमें भारत के रा-ट्रपति, उपरा-ट्रपति, उच्चत्तम न्यायालय के न्यायधीश, योजना आयोग के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केबिनेट मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा तीनो सेनाओं के अध्यक्ष आदि सम्मिलित है।

इन व्यक्तियों को एक माँगपत्र सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है। इस माँगपत्र के दो भाग होते हैं। यात्रा आरम्भ करने के पूर्व बाँये भाग पर विवरण लिखकर यात्री द्वारा स्टेशन पर दे दिया जाता है। दाँये भाग पर स्टेशन से स्टेशन को, श्रेणी, सदस्यों की संख्या, आरक्षित स्थान का विवरण लिखकर, स्टाम्प

लगा कर तथा स्टेशन मास्टर द्वारा हस्ताक्षर कर यात्री को दिया जाता है। इनसे कोई राशि नकद में नहीं ली जाती है।

स्टेशन भाग पर आरक्षित किये गये स्थान का विवरण व किराया लिखकर कैश वाउचर के रूप में सी.आर. नोट के साथ लेखा कार्यालय को भेज दिया जाता है।

इन्डरेल पास

इस टिकट के द्वारा यात्री भारतीय रेल में किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक टिकट की अवधि के दौरान यात्रा कर सकता है। यह टिकट विदेशी नागरिकों, उनके रजिस्टर्ड गाइड,अप्रवासी भारतीयों तथा उनके भारतीय जीवन साथी को विदेशी मुद्रा में जैसे डालर, पौंड इत्यादि में वेलिड पासपोर्ट व वीसा के आधार पर जारी किया जा सकता है।

यह पास जारी होने की तिथि से 365दिन तक वैध रहता है तथा यह 1/2, 1, 2, 4, 7, 15, 21, 30, 60 व 90 दिन के लिये जारी किये जाते हैं। इनका किराया रेलवे बोर्ड द्वारा सूचित किया जाता है जिसकी जानकारी समय समय पर स्टेशनों को रेट एडवाइज़ द्वारा दी जाती है।

यह पास पश्चिम रेलवे पर मुंबई सेन्ट्रल,वडोदरा, अहमदाबाद तथा उत्तर पश्चिम रेलवे पर जयपुर एवं जोधपुर स्टेशन से जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 11 देशों में नियुक्त जनरल सर्विस एजेन्टस (GSAs) द्वारा यह पास बेचे जाने की व्यवस्था है। यह पास निम्न लिखित श्रेणी में जारी किया जाता है व उसका रंग निम्न प्रकार होता है -

- ACFC — नीला
- 2AC, 3AC, FC, CC — हरा
- II Class /SL — पीला

इस पास पर आरक्षण शुल्क तथा सुपर फास्ट शुल्क नहीं लिया जाता हैं। ये टिकट की श्रेणी के अनुसार राजधानी, अगस्त क्रान्ति व शताब्दी एक्सप्रेस में भी मान्य होते हैं व इन गाडियों में इन्हें भोजन भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आधे व एक दिन के इन्डरेल पास राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी मे मान्य नहीं हैं।

इस टिकट को जारी करते समय इस पर यात्री का नाम, पासपोर्ट का नम्बर, नागरिकता व टिकट जारी करने की तारीख लिखी जाती है। इन्हें यात्रा आरम्भ करने के पूर्व टिकट संग्राहक से पृ-ठाकंन करवा लेना चाहिये अन्यथा इन्हें बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जायेगा। चेकिंग स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है।

यह टिकट अहस्तान्तरणीय है।

इन्डरेल पास वाला व्यक्ति कहीं भी कितने भी दिन ब्रेक जर्नी कर सकता है लेकिन उसे यात्रा अवधि के अंतिम दिन रात्रि 24 बजे तक यात्रा समाप्त करनी होगी। अगर यात्रा के दौरान यात्रा में कोई रूकावट

आई है जैसे बाढ आना, भूकम्प आना, दुर्घटना आदि तो सक्षम अधिकारी द्वारा रूकावट की अवधि वाले दिन बढाये जा सकते हैं।

यदि निम्न श्रेणी के पास का धारक यात्रा के किसी भाग पर उच्च श्रेणी में यात्रा करना चाहता है तो किराये का अन्तर भारतीय मुद्रा में अदा कर उच्च श्रेणी में यात्रा कर सकता है।

यदि इन्डरेल पास धारक यात्रा नहीं करना चाहता है तो धन वापसी जारी करने वाले कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार से होगी -

- यदि यात्रा शुरू नहीं की है, आरक्षण भी नहीं करवाया है तो बिना कोई कटौती किये पूरी राशि लौटा दी जायेगी।
- यदि यात्री ने आरक्षण करवा लिया है लेकिन यात्रा शुरू नहीं की है तो धन वापसी सामान्य नियमों के अनुसार रद्दीकरण प्रभार काट कर भारतीय मुद्रा में की जायेगी।

सर्क्यूलर जर्नी टिकट

रेल द्वारा यात्रा करने के लिये साधारणतः सामान्य मार्ग से ही टिकट जारी किये जाते हैं। सामान्य मार्ग से आशय है कि

- दो स्टेशनों के बीच सबसे कम दूरी वाला रास्ता
- अधिक दूरी वाला ऐसा रास्ता जो सबसे कम दूरी वाले रास्ते से 15% से ज्यादा न हो
- अधिक दूरी वाला ऐसा रास्ता जिन पर यात्रा करने में कम दूरी वाले रास्ते की अपेक्षा कम समय लगता है।

यदि कोई यात्री उपरोक्त बताये गये मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से टिकट लेना चाहता है तो उसे सर्क्यूलर जर्नी टिकट कहा जाता है।

ऐसा टिकट जारी करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन नामित किये गये हैं जिनकी सूची पब्लिक टाइम टेबल में समय समय पर प्रकाशित की जाती है। ऐसे स्टेशनों पर डी सी एम/ सी सी एम की बिना पूर्व अनुमति के टिकट जारी किए जा सकते हैं। अन्य स्टेशनों से ऐसा टिकट जारी करवाने के लिये यात्री को उपरोक्त अधिकारियों को कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।

यात्रियों की सुविधा के लिये पश्चिम रेलवे द्वारा 75 स्टेन्डर्ड टूर तैयार किये गये हैं। यदि कोई यात्री इन निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार सर्क्यूलर जर्नी टिकट लेता है तो उसे स्टेन्डर्ड सर्क्यूलर जर्नी टिकट कहते हैं।

यदि कोई यात्री अपने स्वयं के कार्यक्रम तैयार करके सर्क्यूलर जर्नी टिकट लेता है तो उसे नॉन स्टेन्डर्ड सर्क्यूलर जर्नी टिकट कहते हैं।

दोनों प्रकार के सर्क्यूलर जर्नी टिकट के लिये किराये की गणना और यात्रा करने के नियम एक ही प्रकार के हैं।

सर्क्यूलर जर्नी टिकट के किराये की गणना

सर्क्यूलर जर्नी टिकट के किराये की गणना के लिये यात्रा की कुल दूरी को दो सिंगल यात्राओं के बराबर माना जाता है अर्थात यात्रा प्रारम्भ करने के स्टेशन से यात्रा समाप्ति के स्टेशन तक की कुल दूरी को दो बराबर भागों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग के लिये अलग अलग किराया निकाल कर पुनः जोड दिया जाता है। इस टिकट के मामले में किराया M/Exp का ही लिया जाता है चाहे यात्रा साधारण श्रेणी में की जा रही हो।

सर्क्यूलर जर्नी टिकट की अवधि

टिकट की अवधि की गणना करने के लिये यात्रा का समय और यात्रा विराम का समय मालूम करके जोड दिया जाता है।

- ❖ यात्रा का समय 400 किमी या उसके भाग के लिये एक दिन माना जाता है।
- ❖ यात्रा विराम के लिये 200 किमी या उसके भाग के लिये एक दिन निर्धारित किया गया है अतः यात्रा की कुल दूरी में 200 का भाग देकर यात्रा विराम का समय ज्ञात किया जा सकता है।

टिकट की अवधि = यात्रा का समय + यात्रा विराम का समय .

$$\text{यात्रा का समय} = \frac{\text{यात्रा की कुल दूरी}}{400}$$

$$\text{यात्रा विराम का समय} = \frac{\text{यात्रा की कुल दूरी}}{200}$$

सर्क्यूलर जर्नी टिकट पर यात्रा करने के नियम

1) यात्रा टिकट की अग्रेनित दिशा (Forwarding direction)/ पीछे की दिशा में की जा सकती है।

2) अधिकत्तम 8 यात्रा विराम की अनुमति है। प्ररम्भिक स्टेसन से 500 किमी की दूरी तय किये बिना भी यात्रा विराम किये जा सकते हैं। ये स्थान यात्री से टिकट बनवाते समय लिखवा लिए जाएगें। ये प्रारम्भिक व अंतिम स्टेशन के अतिरिक्त होगें।

3) यात्रा विराम केवल उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जिनका विवरण टिकट पर लिखा हो।

4) यात्रा विराम करते समय टिकट पर पृ-ठांकन करवाना आवश्यक नहीं है।

5) यात्रा उसी मार्ग से की जा सकती जिस मार्ग से टिकट जारी किया गया है।

6) यदि कोई यात्री किसी अन्य मार्ग से यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो उसे उस मार्ग पर बिना टिकट का यात्री मान कर चार्ज किया जायेगा।

7) यात्री को अपनी यात्रा टिकट की अवधि समाप्त होने की मध्य रात्रि तक पूरी कर लेनी चाहिये।

8) स्टेन्डर्ड सरक्यूलर जर्नी टिकट नामित स्टेशनों से बिना डी सी एम/ सी सी एम की अनुमति के भी जारी किये जा सकते हैं।

रेल ट्रेवल कूपन

विधानसभा व विधान परि-नद के सदस्यों को राज्य सचिवालय द्वारा मूल्य वाले कूपन की पुस्तक जारी की जाती है जिसमें विभिन्न मूल्य के कूपन होते हैं। प्रत्येक कूपन पर राज्य का नाम, पुस्तक सँख्या, कूपन सँख्या और मूल्य छपा रहता है। जब कोई सदस्य रेल द्वारा यात्रा करना चाहे तो उन्हें यह पुस्तक बुकिंग खिडकी पर प्रस्तुत करनी होगी। टिकट के मूल्य के बराबर कूपन बुकिंग क्लर्क द्वारा अलग कर लिये जाते हैं। पहले से ही निकाल लिये गये कूपन स्वीकार नहीं किये जाते हैं,यदि कोई संदेह हो तो किताब का दुरुपयोग रोकने के लिये विधायक का परिचय पत्र देखने के लिये मांगा जा सकता है।

टिकट जारी करते समय टिकट पर RTC लिख दिया जाता है जिससे कि उसके किराये की वापसी स्टेशन पर नहीं की जा सके। कूपन के पीछे टिकट संख्या, गन्तव्य स्टेशन का नाम, जारी करने की तारीख तथा टिकट का कुल मूल्य लिख दिया जाता है। लेखा करते समय ऐसे टिकटों की संख्या अलग से लिख कर उनके साथ RTC लिख दिया जाता है। एकत्रित किये गये रेल ट्रेवल कूपनों को यात्री विवरणी के साथ माह के अंत में लेखा कार्यालय को भेज दिया जाता है।

यदि किसी कारणवश रेल ट्रेवल कूपन वाले टिकट उपयोग में नहीं लाये जा सके और किराया वापसी के लिये प्रस्तुत किये जाये तो टिकट जमा करके टी डी आर जारी कर दी जाती है जिसके आधार पर किराये की वापसी मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित राज्य सचिवालय को की जाती है।

मूल्य वाले रेल ट्रेवल कूपन आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क तथा गाड़ी में किराये के अन्तर के लिये भी स्वीकार किये जाते हैं परन्तु यात्रा के दौरान बिना टिकट पकडे जाने पर चार्ज वसूल करने के लिये यह कूपन स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं।

यात्रा हेतु प्रत्येक राज्य के अलग अलग नियम हैं जो कि कोचिंग टेरिफ नं. 25 पार्ट 1 वाल्यूम 1 में दर्शाए गये हैं।

प्रेस रिपोर्टर व प्रेस फोटोग्राफर के लिये कूपन

रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर व न्यूज़ ऐजेन्सी के प्रेस रिपोर्टर व प्रेस फोटोग्राफर के लिये आर टी सी कूपन की पुस्तकें पूरी दर पर जारी की जाती हैं। राज/जन शता./शाता. में 30 % व अन्य गडियों में 50 % किराये में छूट दी जाती है।

चैक सोल्जर टिकट (आइ ए एफ टी 1752)

यह टिकट सैनिकों को वारंट नं. आइ ए एफ टी 1752 के बदले जारी किया जाता है। यह वारंट सैनिकों को अकेले यात्रा करने के लिये सेना विभाग द्वारा दिया जाता है।

यह स्टेशन मास्टर - भारतीय रेलवे के नाम पृ-ठांकित किया जा सकता है। किन्तु यह केवल यात्रा आरम्भ करने वाले प्रारम्भिक स्टेशन एवं किसी भी पी आर एस पर मान्य है।

यह वारंट दो भागों में विभक्त होता है -

- ऊपर वाला भाग

▤ नीचे वाला भाग

ऊपर वाला भाग - इस भाग के दाहिनी ओर प्रारम्भ में वारंट का नंबर व प्रकार तथा बाँयी ओर मशीन द्वारा वारंट का क्रमांक लिखा रहता है। यात्री का नाम, उसका पद, नम्बर, यात्रा की श्रेणी, सिंगल या रिटर्न, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक, वारंट की वैधता की अवधि तथा जारी करने की दिनांक लिखी रहती है। इस वारंट में जारी करने वाले अधिकारी द्वारा सभी विवरण भरकर मोहर लगाड़ीर हस्ताक्षर किये जाते हैं। इस वारंट में जारी किये जाने वाले टिकट का विवरण लिखने के लिये स्थान होता है।

रेल कर्मचारी द्वारा चेक सोल्जर टिकट नं., टिकट जारी करने की दिनांक, टिकट का किराया, लगेज का भाडा तथा लेखे में ली गई कुल राशि लिखी जाती है।

नीचे वाला भाग - इसमें सैनिक का नाम, पदनाम, कोड नं, स्टेशन से स्टेशन को, वाया, श्रेणी तथा अवधि लिखी होती है। रेल कर्मचारी के लिये टिकट नं. लिखने के लिये स्थान खाली होता है।

जब सैनिक इस वारंट के बदले टिकट लेने हेतु स्टेशन पर इसे प्रस्तुत करेगें तो बुकिंग कलर्क द्वारा इसकी जाँच की जाएगी। यदि वारंट पर कोई काट-छाँट है तो यह शून्य और निरस्त समझा जाएगा।

रेल कर्मचारी के द्वारा वारंट के अनुसार चैक सोल्जर टिकट सिगंल या रिटर्न जारी किया जाएगा तथा टिकट नं. आदि वारन्ट पर निर्धारित स्थान पर लिख दिया जाएगा।

सभी श्रेणियो में किराया व आरक्षण शुल्क की टेरिफ दर लिखी जाएगी।

इनसे टिकट हेतु नकद राशि नहीं ली जाती है। वारंट पूरा भरने के पश्चात निचला हिस्सा टिकट के साथ सैनिक को दे दिया जाएगा तथा ऊपर का भाग स्टेशन पर रखा जाएगा।

इस वारंट के बदले राशि नहीं ली जाती है अतः यह एक वाउचर है . पूरे दिन में जितने भी वारंट के बदले टिकट जारी किये जाते हैं,उनका एक विवरण बनाकर अवधि समाप्ति पर लेखा कार्यालय भेज दिया जाता है।

यात्रा के दौरान वारंट का निचला हिस्सा तथा सी एस टी दोनों ही साथ रखना आवश्यक है किसी एक की भी अनुपस्थिति में बिना टिकट यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा। यदि वारंट के बदले प्रारम्भिक स्टेशन पर टिकट नहीं लिया गया है तो इन्हें गार्ड प्रमाणपत्र ले लेना चाहिये। यदि गार्ड प्रमाण पत्र नहीं लिया है तो पकडे जाने वाले स्टेशन तक एक्सेस फेयर व एक्सेस चार्ज लिया जाएगा और आगे की यात्रा के लिये निःशुल्क ई एफ टी जारी कर दी जाएगी तथा वारंट टी टी ई द्वारा कैश के साथ बुकिंग ऑफिस में जमा करवा दिया जाएगा।

आरक्षण के सामान्य नियम है। इस वारंट के बदले में जारी टिकट पर आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, संरक्षा सरचार्ज श्रेणी अनुसार नकद में नहीं लिये जाएगें किन्तु वारन्ट में प्रदर्शित कर किराये के साथ रक्षा विभाग से वसूल किये जाएगें।

लगेज यदि वारंट में बताए गये वजन सीमा (Authorised Baggage) से अधिक है तो लगेज चार्ज नकद में लिया जाएगा व अलग से लगेज टिकट जारी की जाएगी। सभी श्रेणियों के लिये फ्री अलाउन्स 40

किग्रा प्रति यात्री है। यदि लगेज वारन्ट में लिखी सीमा के भीतर है तो लगेज चार्ज रक्षा विभाग से वसूल किया जाएगा।

आइ ए एफ टी 1707 (सोल्जर टिकट)

सोल्जर टिकट एक पेपर टिकट है जो सैनिकों को वारंट नम्बर आइ ए एफ टी 1707 व 1707A के बदले जारी किया जाता है।

इस वारन्ट पर एक से अधिक सैनिक या सैनिक का परिवार यात्रा कर सकता है। इस वारन्ट पर वारन्ट का प्रकार, क्रम सं., सैनिक का नाम, पदनाम, कोड नं., स्टेशन से स्टेशन को, वाया, अवधि, श्रेणी तथा सैनिक के परिवार का विवरण लिखा होता है। सबसे ऊपर स्टेशन मास्टर को सम्बोधित होता है। यदि सामान्य लगेज से अधिक लगेज ले जाना है तो लगेज का वजन ऑथोराइज़्ड बैगेज़ के कॉलम में लिखा होता है।

आइ ए एफ टी 1707 के बदले सोलजर टिकट जारी किया जाता है जो तीन जुडी हुई प्रतियों में होता है। पहली प्रति स्टेशन प्रति, दूसरी गार्ड प्रति तथा तीसरी पैसेन्जर प्रति कहलाती है। इस टिकट के मुख पृ-ठ तथा पीछे वारन्ट के अनुसार सभी विवरण भरे जाएगें।

वारन्ट के बदले टिकट जारी करते समय वारन्ट की भली प्रकार जॉच की जाएगी तथा सैनिक के हस्ताक्षर लिये जाएगें। वारन्ट पर निर्धारित स्थान पर श्रेणी अनुसार वास्तविक किराया लिखा जाएगा। ऑथोराइज्ड बैगेज़ के कॉलम में फ्री अलाउन्स घटाकर लगेज का भाडा लिखा जाएगा। यदि लगेज का वजन ऑथोराइज्ड बैगेज से अधिक है तो अधिक वजन का पैसा नकद में लिया जाएगा।

इसी वारन्ट पर लिखे विवरण के अनुसार सोल्जर टिकट बनाई जाएगी। सोल्जर टिकट की पहली व तीसरी प्रति को एक समान भरा जाएगा जिसमें गाड़ी नं., दिनांक, स्टेशन से स्टेशन को, वाया, अवधि लिखी जाएगी। इसी टिकट के सामने के हिस्से में कुल यात्रियों की संख्या व किराया लिखा जाएगा। इसके पिछले पृ-ठ पर लगेज का विवरण जिसमें ऑथोराइज्ड बैगेज, कुल सामान, फ्री अलाउन्स, कुल चार्ज वजन तथा लगेज भाडा लिखकर निचले हिस्से में वारन्ट नम्बर, किस ने जारी किया है तथा रेल कर्मचारी के हस्ताक्षर होगें।

यदि सैनिक अपना सामान गार्ड के साथ बुक करवाता है तो दूसरी प्रति में इस सामान का विवरण लिखकर गार्ड को लगेज टिकट के रूप में दे दी जाएगी अन्यथा इसे निरस्त कर स्टेशन रिकार्ड प्रति के साथ लगे रहने दिया जाएगा।

यात्रा हेतु पहला भाग यात्री को दे दिया जाएगा तथा वारन्ट स्टेशन पर ही रख लिया जाएगा। इस वारन्ट वाले सैनिकों से किराये की नगद राशि नहीं ली जाएगी। अतः यह एक कैश वाउचर है। ऐसे वारन्ट को लेखा कार्यालय भेज दिया जाएगा।

आरक्षण के सामान्य नियम है। इस वारंट के बदले में जारी टिकट पर आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, संरक्षा सरचार्ज श्रेणी अनुसार नकद में नहीं लिये जाएगें किन्तु वारन्ट में प्रदर्शित कर किराये के साथ रक्षा विभाग से वसूल किये जाएगें।

यदि सैनिक यात्रा शुरू करने से पूर्व टिकट नहीं ले सका तो उसे गार्ड प्रमाण पत्र ले लेना चाहिये अन्यथा पकडे जाने वाले स्टेशन तक अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार वसूल किये जाएगें तथा आगे की

यात्रा के लिये फ्री ई एफ टी जारी की जाएगी और वारंट ले लिया जाएगा। सभी श्रेणियों के लिये फ्री अलाउन्स 40 किग्रा प्रति वयस्क यात्री है।

आइ ए एफ टी 1709 (फॉर्म डी)

यह रियायती फार्म सैनिक अधिकारियों को व उनके परिवार को यात्रा हेतु दिया जाता है। जब यह टिकट के लिये प्रस्तुत किया जाता है तो इन सैनिक अधिकारियों से 60% किराया नकद में तथा 40% किराया रक्षा विभाग से वसूल किया जाता है। यह टिकट बी पी टी पर बनाया जाएगा तथा टिकट पूरी राशि का बनेगा तथा 40% राशि को वसूल करने के लिये फॉर्म डी को वाउचर की तरह लेखा कार्यालय भेजा जाएगा।

यदि कोई सैनिक इसके बदले में टिकट लिये बिना यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो उसे इस फार्म का कोई लाभ नही दिया जाता है और बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जाएगा।

आइ ए एफ टी 1720

यह एक रियायती फार्म है जो सैनिकों को अवकाश पर जाने के लिये जारी किया जाता है। इस पर सैनिकों के परिवार के सदस्य भी यात्रा कर सकते हैं। यह सिंगल व रिटर्न जर्नी के लिये अलग अलग जारी किये जाते हैं। इस पर क्रम सं. छपी रहती है और यह स्टेशन मास्टर के नाम सम्बोधित रहता है। सेना विभाग द्वारा इसे जारी किये जाते समय यात्री का नाम, पदनाम, उसका नम्बर, यात्रा की श्रेणी, वैधता की अवधि, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक, जारी किये जाने की तारीख लिखकर जारी करने वाले अधिकारी के स्टाम्प सहित हस्ताक्षर किये जाते हैं।

जब यह टिकट हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सावधानी पूर्वक इसकी जाँच की जाती है और सही पाये जाने पर 50% किराया सैनिकों से नगद लिया जाता है। इसके बदले यात्री को बी पी टी जारी की जाती है जिस पर फार्म के सभी विवरण दिये जाते हैं। इसे स्टेशन पर एकत्रित कर लिया जाता है और माह के अन्त में रिटर्न के साथ लेखा कार्यालय भेज दिया जाता है।

यदि कोई सैनिक इस फार्म के बदले में टिकट लिये बिना यात्रा करते हुए पकडा जाता है तो वह बिना टिकट यात्री मान कर चार्ज किया जाता है। उसे रियायत का कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

पुलिस वारन्ट

जब पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो उनके विभाग द्वारा जारी वारन्ट के आधार पर टिकट जारी किया जाता है। इसके बदले सामान्य टिकट ही जारी होता है जिस पर लाल स्याही से पुलिस वाउचर शब्द लिख दिया जाता है। इस वारन्ट पर एक या एक से अधिक पुलिसकर्मी यात्रा कर सकते हैं।

यह वारन्ट पुलिस कर्मी को ड्यूटी पर जाते समय दो जुड़ी हुई प्रतियों में जारी किया जाता है। इसमें जारी करने की दिनांक, कर्मचारी का नाम, पदनाम, श्रेणी, जारी करने वाले के हस्ताक्षर व मोहर होती है तथा ऊपर की ओर स्टेशन मास्टर के नाम सम्बोधित होता है।

जब यह वारन्ट टिकट हेतु बुकिंग खिडकी पर प्रस्तुत किया जाता है तो बाँयी प्रति पर पुलिस कर्मी के हस्ताक्षर लिये जाते हैं तथा दोनों ही प्रतियों पर श्रेणी अनुसार टिकट का रेट, कुल किराया तथा सभी

टिकटों के नम्बर लिखकर रेल कर्मचारी स्टेशन की मोहर के साथ हस्ताक्षर कर दाँयी प्रति टिकट के साथ पुलिस कर्मी को यात्रा के लिये दे देते हैं।

पुलिसकर्मियों से इस वारन्ट पर किराये की नकद राशि नहीं ली जाती है। अतः बाँयी प्रति जो स्टेशन पर रखी जाती है,एक कैश वाउचर है, जो कि लेखा कार्यालय भेज दिया जाता है। यदि पुलिस कर्मचारी वारन्ट के बदले टिकट न ले सके तो भी उसे बिना टिकट यात्री माना जाएगा।

लगेज के सामान्य नियम है। इस वाउचर के बदले में जारी टिकट पर आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, संरक्षा सरचार्ज श्रेणी अनुसार नकद में नहीं लिये जाएगें किन्तु वारन्ट में प्रदर्शित कर किराये के साथ पुलिस विभाग से वसूल किये जाएगें। आरक्षण के सामान्य नियम है।

गार्ड प्रमाण पत्र

भारतीय रेल अधिनियम की धारा 55 के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति बिना टिकट/पास के यात्रा नहीं कर सकता है. यदि यात्री टिकट नहीं ले सका तो इस धारा के अधीन गार्ड को विशे-न परिस्थिति में प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह प्रमाण-पत्र TS/ TNCR द्वारा भी जारी किया जा सकता है।

गार्ड प्रमाण पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में तभी जारी किया जाएगा जब यात्री पर कोई चार्ज देय नहीं हो व जहाँ भी सम्भव हो किराया देकर टिकट बनवाने को तैयार हो जब भी गार्ड प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तो यात्री से कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं वसूला जाएगा, केवल अतिरिक्त किराया लिया जाएगा -

1. यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति टिकट नहीं ले सका तो जहाँ प्लेटफार्म टिकट बिकते हैं वहाँ प्लेटफार्म टिकट के आधार पर गार्ड प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

2. जिन स्टेशनो पर प्लेटफार्म टिकट नहीं बिकते हैं वहाँ बिना प्लेटफार्म टिकट के भी गार्ड प्रमाणपत्र जारी किये जा सकते हैं।

3. यदि किसी यात्री के पास यात्रा टिकट है तथा वह वह अपना गंतव्य स्टेशन से आगे यात्रा करना चाहता है तो गार्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

4. यदि किसी यात्री के पास निम्न श्रेणी का टिकट है तथा उच्च श्रेणी में स्थान उपलब्ध है व यात्री उच्च श्रेणी में यात्रा करना चाहता है तो गार्ड प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। गाड़ी के पहले रूकने वाले स्टेशन पर यात्री को टिकट बनाकर दे दी जाएगी ततथा यात्री से अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा।

5. मिलिट्री वारन्ट आइ ए एफ टी 1707, 1752, रियायती फार्म 1720, 1728, 1736 पर सैनिक यात्री को बिना प्लेटफार्म टिकट के भी गार्ड प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

6. यदि किसी यात्री के पास उच्च श्रेणी का टिकट है तथा वह निम्न श्रेणी में यात्रा करने के लिये बाध्य होता है तो गार्ड प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

7. यदि किसी यात्री के पास वातानुकूलित श्रेणी का टिकट है तथा किसी कारणवश ए सी सयंत्र खराब हो गया है तो भी यात्री को गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

नोट- 1) उपरोक्त 1 से 5 मामलो में गार्ड प्रमाण पत्र जारी कर यात्री के साथ टी टी ई को दिया जाएगा। किये जा सकते हैं।

2) उपरोक्त परिस्थिति नं. 6 व 7 में गार्ड प्रमाण पत्र जारी कर यात्री को दे दिया जायेगा व यात्री परिस्थिति नं. 6 में गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचने की तिथी से 2 दिन के भीतर व परिस्थिति नं. 7 में गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचने के 20 घंटे के अंदर टिकट के साथ में प्रमाण पत्र अभ्यर्पित कर किराये का अंतर के लिये रिफंड प्राप्त कर सकता है अन्यथा धनवापसी सी सी एम द्वारा की जाएगी ।

गार्ड प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कार्यविधि

कोचिंग टेरिफ में 'यात्रा करने की अनुमति के प्रमाण पत्र' के फार्म का नमूना दिया हुआ है। इन प्रमाण पत्रों पर क्रम सं. लिखी होती है और ये तीन प्रतियों में बनाए जाते हैं अर्थात यात्री, लेखा और रिकार्ड। इन्हें कार्बन विधि से तैयार किया जाता है और साधारणतया उन्हें यात्रियों के गन्तव्य स्टेशनों तक जारी किया जाना चाहिये। फिर भी ऐसे मामले में जहाँ यात्री निचले दर्जे में यात्रा करने के लिये विवश हो और उनके पास ऐसे गन्तव्य स्टेशनों के लिये टिकट हो जहाँ किसी जंक्शन स्टेशन पर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बदलना अपेक्षित हो। ऐसे मामले में पहले गाड़ी बदलने वाले जंक्शन तक प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिये या यात्रियों की इच्छा पर ऐसे जंक्शन से पूर्व किसी ऐसे मध्यवर्ती स्टेशन तक जहाँ उस श्रेणी, जिसका कि उसके पास टिकट है, में स्थान उपलब्ध हो जाने की सम्भावना हो। ऐसे मामले में प्रमाण पत्र जारी करने वाला गार्ड/कन्डक्टर टिकट पर स्याही से इस प्रकार पृ-ठांकन करेगा-

" .....स्टेशन से ..... तक ..... श्रेणी में उपलब्ध..... ..... प्रमाण पत्र सं..... जारी किया गया।

.....हस्ताक्षर

.....दिनांक

.....गार्ड / कन्डक्टर

.....मुख्यालय

लेकिन यदि बाद में स्थान उपलब्ध हो जाए और यात्री ऊंची श्रेणी में यात्रा करना चाहे तो उसे इसके लिये अनुमति दी जानी चाहिये। ऐसे मामलों में पहले जारी किये गये प्रमाण पत्र पर गार्ड/ कन्डक्टर द्वारा नया पृ-ठाकंन किया जाएगा और उस पर हस्ताक्षर किये जाएगें।

गार्ड/ कन्डक्टरों द्वारा प्रभारों की वसूली

गार्ड प्रमाणपत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत कर्मचारियों को यात्रियों से देय अतिरिक्त किराया या अधिप्रभार स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इन प्रभारों को वसूल करने का कार्य केवल अतिरिक्त

किराया टिकट जारी करने के लिये प्राधिकृत कर्मचारियों तक ही सीमित है परन्तु कन्डक्टर यात्रियों से आरक्षण व अधिप्रभार वसूल सकते हैं।

स्वतन्त्रता सेनानी पास

जिन व्यक्तियों ने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है,ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों को एक साथी के साथ यह पास जारी किया जाता है। स्वतन्त्रता सेनानी भारतीय रेलवे में कहीं से भी कहीं तक एक साथी के साथ 2 ए सी में यात्रा कर सकते हैं।

यह पास परिचय पत्र के रूप में होता है जिसमें स्वतन्त्रता सेनानी का नाम व पत्ता लिखा होता है। इनसे किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लिये जाते हैं।

***